<u>िआपराधिक प्रकरण कमांक 700580 / 2016</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक ७००५८० / २०१६ इ०फो० संस्थापित दिनांक 20.09.2016

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

- इरफान खॉ उर्फ लल्ला खॉ पुत्र एजाद खॉ, आयु-22 वर्ष 1.
- एजाद खॉ पुत्र बाबू खॉ आय्–62 वर्ष, 2.
- THE PROPERTY श्रीमति खैरूननिशा पत्नि एजाद खॉ, आय्–52 वर्ष, 3.
 - चन्द्र उर्फ शाहिद खॉ पुत्र एजाद खॉ, आयू-20 वर्ष, निवासीगण-वार्ड क्रमांक ९. गोहद, जिला-भिण्ड, म०प्र०।

अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा–498ए भा०द०स० एवं धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ–श्रीमति हेमलता आर्य।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता–श्री प्रवीण गृप्ता)

<u>::- निर्णय -::</u> <u>(आज दिनांक 19.01.2018 को घोषित किया)</u>

आरोपीगण पर दिनांक 27.01.15 से दिनांक 21.06.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में फरियादिया श्रीमती साइना खान के पित / नातेदार होकर फरियादिया श्रीमती साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने तथा साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग कर साइना खान को दहेज देने की लिये दुष्प्रेरित करने हेतु भा०द०स० की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया साइना की शादी दिनांक 27. 01.15 को इरफान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से सम्पन्न हुयी थी। शादी से पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गयी थी। उसकी शादी उसकी बडी बहन रेश्मा ने की थी। शादी में उसकी बडी बहन ने दहेज में सोना चॉदी के जेबर, घर ग्रहस्थी का पूरा सामान एवं 15000 / – रूपये नगद दिये थे। शादी के बाद वह एक दो माह तक अपनी ससुराल में ठीक से रही थी। इसके बाद उसका पित इरफान, सास खैरूनिशा, ससुर एजाद खान, देवर चन्दू आये दिन उसे गंदी गंदी गालियाँ देते थे उसकी मारपीट करते थे और कहते थे कि दहेज में कुछ नहीं लायी हो। आरोपीगण उसे अपनी बड़ी बहन से एक मोटरसाइकल, पचास हजार रूपये नगद लाने के लिये कहते थे तथा मना करने पर उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। फरियादी ससुराल वालों की यातना झेलती रही थी। दिनांक 10.04.16 को अरोपीगण ने उसे मारपीट कर पहने हुये कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया था। दिनांक 18.04.16 को उसका पित इरफान उसके घर ग्वालियर आया था तथा उससे पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकल की मांग की थी। और कहा था कि यदि खाली हाथ आयी तो जान से मार देगे। दिनांक 05.06.16 को भी उसके पित ने उसकी मारपीट की थी। फरियादी द्वारा महिला थाना पड़ाव में लेखीय आवेदन दिया गया था। फरियादिया के आवेदन पर महिला थाना पड़ाव में जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द की गयी थी। तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 223/16 पर अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबध्द किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरूध्द आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-</u>

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.01.15 से दिनांक 27.01.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में श्रीमित साइना खान के <u>पित / नातेदार</u> होकर श्रीमित साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकल की मांग की तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमित साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकल की मांग कर फरियादिया साइना खान को दहेज देने के लिये दुष्प्रेरित किया।?
- 5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया साइना अ.सा0 1 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया साइना अ.सा. 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी दिनांक 27.01.15 को इरफान के साथ हुयी थी। शादी के बाद से ही उसका पित व घरवालों से घरेलू बातों को लेकर विवाद हो जाता था एवं उन्हीं बातों के कारण उसने अपने पति, सास, ससुर व देवर के विरूध्द महिला थाना पडाव में लेखीय आवेदन दिया था जो प्र पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त संबंध में थाना गोहद में एक लेखीय आवेदन दिया था जो प्र पी 2 है जिसके ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर है। उसने महिला थाना पडाव में रिपोर्ट की थी जो प्र0पी03है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शामीका प्र पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में मोटरसाइकल एवं पचास हजार रूपये नगद लाने के लिये कहते थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मांग की पूर्ति ना होने पर आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने दिनांक 10.06. 16 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र0पी 01, प्रदर्श पी 02 एवं रिपोर्ट प्र0पी 3 में लिखायी थी।

- इस प्रकार फरियादिया साइना अ०सा० 1 ने अपने कथन में आरोपीगण से घरेलू बातो पर उसका विवाद होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में मोटरसाइकिल एवं पचास हजार रूपये की मांग करते थे तथा ना लाने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखायी थी।
- इस प्रकार फरियादिया साइना असा. 1 ने आरोपीगण से घरेलू बातो के उपर विवाद होना बताया था तथा आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नही की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण फरियादी साइना से पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकल दहेज में लाने के लिये कहते थे तथा ना लाने पर उसे प्रताडित करते थे। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूध्द अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरूध्द अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.01.15 से दिनांक 21.06.16 के मध्य नूरगंज मोहल्ला गोहद में फरियादिया श्रीमती साइना खान के पति / नातेदार होकर फरियादिया श्रीमती साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति ना होने पर फरियादिया साइना खान को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया तथा साइना खान से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग कर साइना खान को दहेज देने की लिये दुष्प्रेरित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी इरफान खान उर्फ लल्ला खान, एजाद खान, श्रीमित खैरूनिशा, चन्दू उर्फ शाहिद खान को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भा0द0स0 की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के आरोप से देाषमुक्त करती है।

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 700580/2016

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नही है।

स्थान – गोहद दिनांक – 19/01/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

